फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– श्री मोहनलाल वगैरह
किस्म मुकदमा :– 251 R.T.A.

विपक्षी :– श्री भगवानलाल वगैरह
पत्रावली संख्या :– 04 / 21 (वाद पत्र)
GCMS NO : 2021/23

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 15.01.2025 – पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा दौराने बहस 500 रूपये के स्टाम्प सहमति ईकरारनामा की फोटोप्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया की पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। प्रकरण को खारिज फरमाया जावे। हमने उभय पक्षों के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। हम इस निश्कर्श पर पहुंचे की प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान का तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर ग्राम दुदालिया पटवार हल्का चंगेड़ी तहसील मावली की आराजी नम्बर 406 पर आने जाने हेतु रास्ता कायम करवाना चाहा। इसी आराजीयात पर आने जाने हेतु रास्ता खुलवाने का वाद एवं अस्थाई निशेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधी ।। मावली के यहां प्रस्तुत किया। माननीय सिविल न्यायाधी ।। महोदय द्वारा अंतरिम अस्थाई निशेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए रास्ते में आने जाने हेतु कोई व्यवधान पैदा नही करने का आदे ।। पारित कर दिया। मूल वाद विचाराधीन है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रथक प्रथक दो न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किये गये है। साथ ही अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत 500 रूपये के स्टाम्प सहमति ईकरारनामा की फोटोप्रति से जाहीर हो रहा है कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। इस प्रकार मौके पर रास्ता होने के कारण ही प्रार्थीगण द्वारा सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है। जिस कारण से इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र को चलाने का कोई औचित्य नही है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल भुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S. सहायक कलक्टर (एसडीओ) मावली जिला उदयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:13:54 IST
Reason: SelfAttested